मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर

कार्यालय आदेश

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज) में गैर शैक्षणिक संवर्ग 'ग' के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु वर्तमान में उपलब्ध एक्ट परिनियमावली इत्यादि में कोई स्पष्ट व्यवस्था/नियमों का उल्लेख नहीं है। यद्यपि सीधी भर्ती में अर्हता (शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव) आदि स्पष्ट रुप से उपलब्ध है। पूर्व में पदोन्नति समितियों द्वारा स्वविवेक एवं प्रचलित व्यवस्थाओं को आधार मानते हुये पदोन्नति की जाती रही है, जिससे कार्मिकों में एकरुपता का आभाव एवं कतिपय विसंगतियां दृष्टिगोचर होती रही है। अतएव वर्तमान में पदोन्नति हेतु सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदनोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के यथा उपलब्ध शासनादेशों, प्रचलित व्यवस्थाओं, व्यवहारिकता के दृष्टिगत एक सुविचारित एवं सुसंगत व्यवस्था प्रस्तावित कर प्रख्यापित की जाये, उक्त हेतु पदोन्नति की प्रख्यापित की जाने वाली व्यवस्था निम्नवत् है :-

01- पदोन्नति हेतु नानटीचिंग कर्मचारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायेगी। इसी वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति की जायेगी।

02- पदोन्नति का आधार वरिष्ठता, पदोन्नति हेतु उपलब्ध व्यवस्था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्य के अनुभव एवं 5 वर्षो की वार्षिक संतोषजनक प्रविष्टि आख्या को माना जायेगा।

03- ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति/पदोन्नति के प्रकरण माननीय न्यायालय/विश्वविद्यालय में विचाराधीन एवं नियुक्ति संबंधी जांच के अधीन है कि पदोन्नति हेतु प्रकरणों पर विचार उक्त जांच के निस्तारित होने तक नहीं किया जायेगा।

04- ऐसे कर्मचारी जो प्रोबेशन पर है के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

05- संस्था में पदोन्नति हेतु उपलब्ध विभिन्न पदों पर कर्मचारियों के पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु उपलब्ध शासनादेशों/पूर्व प्रचलित व्यवस्था में यथास्थिति अवरोहीक्रम (डिसेन्डिग आर्डर) में प्राविधानित न्यूनतम शैक्षणिक एवं न्यूनतम तकनीकी योग्यता तथा अनुभव को आधार बनाया जायेगा।

06- संस्थान एक अभियन्त्रण शैक्षिक संस्थान रहा है एवं 2013 से उच्चीकृत कर प्रौद्योगिकी राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, अतः तकनीकी संवर्ग के पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम तकनीकी अर्हता आई.टी.आई./समकक्ष का होना आवश्यक है।

07- लिपिकीय संवर्ग एवं लेखा संवर्ग हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में सन्दर्भित शासनादेश जो कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में लागू है। शासनादेश संख्याः 3325/सोलह-1-2013-263/2010 दिनाँकः 31 अक्टूबर, 2013 को संज्ञान में लिया जायेगा।

08- पदोन्नति के समय पदोन्नति हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष ही पदोन्नति की जायेगी।

09- प्रत्येक कार्मिक की पदोन्नति किसी भी अवस्था उसके वर्तमान पदधारित पद से पदोन्नति हेतु अगले उपलब्ध पद पर ही की जायेगी। किसी भी दशा में किसी कार्मिक की दो पदोन्नति एक साथ नहीं की जायेगी।

10- विश्वविद्यालय में उपलब्ध समूह 'ग' के कुछ एकल पदों को भी उनके कार्य की प्रकृति के अनुरुप ही उपलब्ध संवर्ग की वरिष्ठता सूची में समाहित करते हुये पदोन्नति की जायेगी।

11- पदोन्नति हेतु समिति की संस्तुति के उपरान्त भी किसी प्रकार के मतैक्यता के आभाव में मा0 कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

उक्त का अनुपालन समूह 'ग' की पदोन्नति हेतु सुनिश्चित किया जाये।

कुलसचिव

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/4-2/4550 /2026 दिनाँकः 20 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / अनुभागीय अधिकारी को इस आशय से कि अपने विभाग/अनुभाग में कार्यरत समूह 'ग' के समस्त कार्मिकों में परिचालन कराने का कष्ट करें।
02. पदोन्नति के समिति सम्मानित अध्यक्ष एवं सदस्यगण
03. वित्त नियन्त्रक
04. उप-कुलसचिव
05. वै0स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
06. कुलसचिव कार्यालय (गार्ड फाईल)

कुलसचिव
20/07/26